संख्या-99/2016/785/22-2-2016-17(223)/2009

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 03 अगस्त, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी रशीदुल जफर उर्फ छोटा पुत्र श्री उम्मेद हुसैन निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13455/पर-3(एम-25-04-2016) दिनांक-04-05-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट पिटीशन (क्रिमिनल) सं0-9719(एम0/बी0)/2013 जरीन अख्तर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.09.2015 द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुति की तिथि से दो माह के अन्दर फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 30.09.2015 का संगत अंश निम्वत उद्धृत है:-

" The writ petition succeeds and is allowed. The impugned order dated 12.11.2012 passed by respondent no. 1 (Annexure – 3 to the writ petition) is quashed. The matter is remitted back to the State Government with a direction to take decision fresh on the Form 'A' of the petitioner no. 2 after due application of mind to the facts and circumstances of the case as expeditiously as possible preferably within two months from the date of production of certified copy of this order keeping in the view the interim order passed by the Apex Court dated 23.7.2015 in Writ Petition (Criminal) No. 48 of 2014 (Union of India Vs. Sriharan @ Murugan and others). As far as the objection raised by the learned A.G.A. that keeping in view the ghastly nature of the crime committed by the petitioner he is not entitled for remission of his sentence or pre-mature release is concerned, the same shall also be examined by the State Government while considering the Form 'A' of the petitioner no.2."

3- आपके उक्त पत्र दिनांक 04.05.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रशीदुल जफर उर्फ छोटा पुत्र श्री उम्मेद हुसैन, ग्राम-सांखनी, थाना-जहांगीराबाद, जनपद-बुलन्द्रशहरका निवासी है। शव दफनाने को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने अपने 20 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 01.02.1989 को अपरान्ह् 03:30 बजे रायफल, बन्दूक, कट्टा, फरसा, छूरी आदि अस्त्रों से मारकर 11 लागों की हत्या की तथा पुलिस पर भी फायरिंग की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-245/1989 में भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 332, 307 व 302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, षष्टम, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 10-08-1992 को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये मृत्यु दण्ड को दिनांक 20.05.1994 को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22-04-2016 तक 27 वर्ष 00 माह 29 दिन की अपरिहार तथा 34 वर्ष 11 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण वर्तमान में सन्तोषजनक है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बन्दी के 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त फरार है, 06 सहअभियुक्त मा0 सत्र/उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 11 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है, दोनों पक्षों में अभी विवाद समाप्त नहीं हुआ है, समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में कहा है कि बन्दी जेल से बाहर आकर कोई भी अपराध कर सकता है, बन्दी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध किये जाने की सम्भावना एवं दोनो पक्षो के मध्य विवाद समाप्त न होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने ऐसे अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के वारे में विपरीत संदेश तथा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी रशीदुल जफर उर्फ छोटा पुत्र श्री उम्मेद हुसैन निवासी जनपद-बुलन्दशहर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रशीदुल जफर उर्फ छोटा (बन्दी संख्या-15505) पुत्र श्री उम्मेद हुसैन निवासी जनपद-बुलन्दशहर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-99/2016/785(1)/22-2-2016 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-99/2016/785@22-2-2016-17(223)/2009

दिनांक 03 अगस्त, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी रशीदुल जफर उर्फ छोटा (बन्दी संख्या-15505) पुत्र श्री उम्मेद हुसैन, ग्राम-सांखनी, थाना-जहांगीराबाद, जनपद-बुलन्द्रशहरका निवासी है। शव दफनाने को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने अपने 20 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 01.02.1989 को अपरान्ह् 03:30 बजे रायफल, बन्दूक, कट्टा, फरसा, छूरी आदि अस्त्रों से मारकर 11 लागों की हत्या की तथा पुलिस पर भी फायरिंग की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-245/1989 में भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 332, 307 व 302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, षष्टम, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 10-08-1992 को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये मृत्यु दण्ड को दिनांक 20.05.1994 को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22-04-2016 तक 27 वर्ष 00 माह 29 दिन की अपरिहार तथा 34 वर्ष 11 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण वर्तमान में सन्तोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त फरार है, 06 सहअभियुक्त मा0 सत्र/उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 11 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है, दोनों पक्षों में अभी विवाद समाप्त नहीं हुआ है, समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में कहा है कि बन्दी जेल से बाहर आकर कोई भी अपराध कर सकता है, बन्दी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध किये जाने की सम्भावना एवं दोनो पक्षो के मध्य विवाद समाप्त न होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने ऐसे अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के वारे में विपरीत संदेश तथा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी रशीदुल जफर उर्फ छोटा पुत्र श्री उम्मेद हुसैन निवासी जनपद-बुलन्दशहर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in